

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी-

मुरारी लाल शर्मा

आर.ए.एस.

तारीख निर्णय

30.12.2021

मिसल नम्बर

98/2021/प्रा.पत्र/2021

तारीख दायरा

09.12.2021

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

1-श्री रामअवतार शर्मा पुत्र श्री श्रवण लाल शर्मा एफ.बी.ओ मैसर्स शर्मा दूध डेयरी एन.एच-12
पक्का बंधा टोंक जिला टोंक निवासी ग्राम शुक्लपुरा पोस्ट हथोना तहसील व जिला टोंक
राज0

..... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित-

1-प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2- अप्रार्थीगण उपस्थित

:-निर्णय:-

दिनांक 30.12.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.10.2021 को समय 09.19 ए.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स शर्मा दूध डेयरी एन.एच-12 पक्का बंधा टोंक जिला टोंक पर पहुंचां। प्रोपरायटर की हैसियत से श्री रामअवतार शर्मा पुत्र श्री श्रवण लाल शर्मा एफ.बी.ओ मैसर्स शर्मा दूध डेयरी एन.एच-12 पक्का बंधा टोंक जिला टोंक निवासी ग्राम शुक्लपुरा पोस्ट हथोना तहसील व जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे
मिल्क कीम मीडियम ग्रेड फ़ैट (Milk Cream Medium Grade Fat) रखा हुआ था, का
निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. विक्रेता श्री रामअवतार शर्मा को गवाह के
सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की




अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

जिस पर विक्रेता रामअवतार शर्मा एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान में स्टील की केन में लगभग 8 किलोग्राम **मिल्क कीम मीडियम ग्रेड फैट (Milk Cream Medium Grade Fat)** रखे हुये में से 800 ग्राम को एक स्टील के जग में वैईंग मशीन से तुलवाकर का चयन कर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता श्री रामअवतार शर्मा को रू0 176/- अक्षरे एक सौ छियत्तर रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।


आवेदक द्वारा खरीदशुदा **मिल्क कीम मीडियम ग्रेड फैट (Milk Cream Medium Grade Fat)** खरीदशुदा 800 ग्राम को बराबर-बराबर (एक भाग 200 ग्राम) अलग-अलग चार साफ व सूखी प्लास्टिक की शिशियो में भरकर प्रत्येक शिशी में बतोर परिरक्षित 40 प्रतिशत वाली फार्मेलिन की 16-16 बूंदें डालकर अच्छी तरह हिला-मिलाकर शिशियो के ढक्कन को एयरटाईट बंद कर चार भाग तैयार कर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एवं चारों नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I-2952 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारों नमूना भागों को अलग-अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I-2952 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता रामअवतार शर्मा के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवे। चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2021/3241 दिनांक 22.11.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1552/एक्ट/2021/1466 दिनांक 15.11.2021 अनुसार रामअवतार शर्मा से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **मिल्क कीम मीडियम ग्रेड फैट (Milk Cream Medium Grade Fat)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1) (zx) के अनुसार अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया।





अतिरिक्त जिला माजिस्ट्रेट
टोंक

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा अवमानक (Sub-Standard) स्तर का मिल्क कीम मीडियम ग्रेड फैट (Milk Cream Medium Grade Fat) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस मिल्क कीम मीडियम ग्रेड फैट (Milk Cream Medium Grade Fat) का विक्रय कर रहा था वह जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास ले लिया गया मिल्क कीम मीडियम ग्रेड फैट (Milk Cream Medium Grade Fat) का नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री रामअवतार शर्मा पुत्र श्री श्रवण लाल शर्मा एफ.बी.ओ मैसर्स शर्मा दूध डेयरी एन.एच-12 पक्का बंधा टोंक जिला टोंक निवासी ग्राम शुक्लपुरा पोस्ट हथोना तहसील व जिला टोंक राज0पर शास्ति 25,000 अक्षरे पच्चीस हजार हजार रू0) आरोपित की जाती है अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 30.12.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



30-12-2021
(मुरारी लाल शर्मा)
न्याय मंत्रालय, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0